

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
{अवसंरचना निवेश न्यास} विनियम 2014

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
(INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUSTS) REGULATIONS, 2014

0000048

[विनियम 6(2)दखें]
[See Regulation 6(2)]

अवसंरचना निवेश न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

CERTIFICATE OF REGISTRATION AS AN INFRASTRUCTURE INVESTMENT TRUST

- I) बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) के अधीन बनाये गये विनियमों के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा का प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,
- I) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with the regulations made thereunder, the Board hereby grants a certificate of registration to
SHREM InvIT
1101, VIRAJ TOWERS JUNCTION OFF ANDHERI KURLA ROAD
W E HIGHWAY NEAR LAND MARK BUILDING ANDHERI(E),
MUMBAI – 400 069

को अधिनियम में और उसके अधीन बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधधीन, अवसंरचना निवेश न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र एतद्द्वारा प्रदान करता है।
as an **Infrastructure Investment Trust** subject to the conditions specified in the Act and in the regulations made thereunder.

II) अवसंरचना निवेश न्यास की रजिस्ट्रीकरण संख्या

है।

II) The Registration Number of the Infrastructure Investment Trust is

IN/InvIT/20-21/0017



आदेश द्वारा
भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड
के लिए और की ओर से
By order

and on behalf of
Securities and Exchange Board of India

Deena Venu Sarangadharan

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता Authorised Signatory

स्थान Place :

Mumbai

तारीख Date :

February 04, 2021